Fourteenth Loksabha

Session : 7
Date : 19-05-2006

Participants : Darbar Shri Chhatarsingh

Title : Regarding deduction of income-tax from the relief amount given to the families affected by Sardar Sarovar and other big projects of Madhya Pradesh.

श्री छत्तर सिंह दरबार (धार) : सभापति महोदय, मैं आपके माध्यम से सदन में एक अत्यन्त महत्वपूर्ण मुद्दे पर चर्चा करने जा रहा हूं और मैं भारत सरकार तथा विशेाकर वित्त मंत्री महोदय का ध्यान आकर्ति करते हुए कहना चाहता हूं कि सरदार सरोवर बांध का कुछ भाग बन गया है और शेा बन रहा है। इस बांध से गुजरात और मध्य प्रदेश के लोग प्रभावित हुए हैं। इसमें मध्य प्रदेश के अनेक लोगों की जमीनें और मकान डूबे गए हैं और कई लोग बेघर हो गए हैं। जिन लोगों की भूमि डूब में आई है, उसका उन्हें राज्य शासन की ओर से मुआवजा दिया जा रहा है, लेकिन आश्चर्य की बात यह है कि उनसे आयकर लिया जा रहा है।

सभापति महोदय, यह बड़ी विडम्बना है कि वे लोग अपने घरबार से उजड़े हैं, उनकी जमीनें डूब गई हैं, उनकी खेतीबाड़ी समाप्त हो गई है और वे राट्र हित में अपना सर्वस्व बलिदान कर अपने गांव को छोड़कर दूसरी जगह बस गए हैं। उन्हें उनकी भूमि एवं भवन के एवज में कुछ मुआ वजा दिया जा रहा है लेकिन मुआवजे की रकम पर भारत सरकार के नियमों के अन्तर्गत और आयकर अधिनियम के अनुसार उनसे आयकर लिया जा रहा है। यह बहुत दुर्भाग्य और शर्म की बात है। जो लोग अपना सर्वस्व न्यौछावर कर देश हित में अपने गांव को छोड़कर दूसरी जगह बसे हैं उनसे उनकी भूमि के एवज में मिले मुआवजे की रकम पर आयकर लिया जाना निश्चितरूप से शर्मनाक है।

महोदय, इस बारे में मध्य प्रदेश शासन ने भी केन्द्र सरकार के वित्त मंत्री महोदय से निवेदन किया है कि बांध में जिनकी जमीन या मकान डूब गए हैं, जो बांध के कारण उजड़े हैं, उनको मिले मुआवजे की रकम पर आयकर नहीं लिया जाए, लेकिन आज तिथि तक वित्त मंत्री महोदय की ओर से मध्य प्रदेश सरकार को कोई संतोाजनक उत्तर प्राप्त नहीं हुआ है। मुझे प्रतीत होता है कि भारत सरकार के वित्त मंत्रालय ने अभी तक इस मामले में कोई कार्रवाई नहीं की है।

महोदय, मैं आपके माध्यम से भारत सरकार और विशेा रूप से वित्त मंत्री जी से निवेदन करना चाहता हूं कि सरदार सरोवर बांध के बनाने में जो लोग विस्थापित हुए हैं और उन्हें पुनर्वासित करने के लिए जो मुआवजा शासन की ओर से उन्हें दिया जा रहा है, उस पर किसी भी प्रकार का आयकर नहीं वसूला जाए। यदि इसके लिए आवश्यकता हो, तो आयकर अधिनियम में संशोधन किया जाए। इस बारे में तत्काल निर्णय लिया जाए और जिन लोगों से अब तक आयकर वसूला जा चुका है, उसे वापस किया जाए तथा विस्थापित हुए लोगों से भविय में आयकर न लिया VÉÉA[rpm58]। मध्य प्रदेश के ओंकारेश्वर, महेश्वर तथा पुनासा आदि क्षेत्र भी डूब से प्रभावित हुए हैं।

सभापति महोदय : श्री गिरधारी लाल भार्गव। रोज़गार की बात है और हम आपके साथ हैं।